रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03042025-262238
CG-MH-E-03042025-262238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2025/ चैत्र 12, 1947
No. 273] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2025/ CHAITRA 12, 1947

भारतीय बीमांकक संस्थान

अधिसूचना

मुंबई, 21 मार्च, 2025

फा. सं. IAI/Com/002/2024—भारतीय बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद्, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से, एतद्वारा भारतीय बीमांकक संस्थान (सदस्यों के रूप में प्रवेश और व्यवसाय प्रमाणपत्र का जारी किया जाना) विनियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है। उस विनियम को एतद्वारा उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि भारतीय राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध किए जाने की तिथि से पैतालिस दिनों की समाप्ति पर या उसके उपरांत परिषद् द्वारा उक्त विनियमों पर विचार किया जाएगा;

इस अधिसूचना में निहित प्रस्ताव पर कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर लिखित रूप में भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद् के अध्यक्ष, यूनिट संख्या एफ-206, द्वितीय तल, टॉवर 2 में "एफ" विंग, सीवुड्स ग्रांड सेंट्रल, प्लॉट संख्या आर-1, सेक्टर 40, सीवुड्स, सीवुड्स रेलवे स्टेशन के पास, नवी मुंबई - 400 706 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते yogesh@actuariesindia.org पर ऐसा कर सकता है।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1)** इन विनियमों को भारतीय बीमांकक संस्थान (सदस्यों के रूप में प्रवेश और व्यवसाय प्रमाणपत्र का जारी किया जाना) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमांकक संस्थान (सदस्यों के रूप में प्रवेश और व्यवसाय प्रमाणपत्र का जारी किया जाना) विनियम, 2017 (इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2, उप विनियम (1) में (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"(ड़) "व्यावसायिक संस्थान' से भारतीय संसद के अधिनियम के अंतर्गत यथा गठित कोई संस्थान या परिषद् द्वारा समय समय पर यथा निर्णीत कोई समरूप निकाय अभिप्रेत है।"

3. उक्त विनियम में, विनियम 3 में, उप - विनियम (1) (क) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"कोई व्यक्ति जो परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित परीक्षा देकर या छूट के माध्यम से परीक्षा में अर्हित होता है, वह संस्थान के संबद्ध या अध्येता सदस्य के रूप में अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करने का हकदार है"

4. उक्त विनियम में, विनियम 3 में, उप-विनियम (2) (क) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"परीक्षा का आयोजन ऐसी रीति से तथा ऐसे समय और स्थान पर होगा जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाएगा अथवा परिषद् द्वारा अधिकृत कोई समिति या व्यक्तियों का कोई समूह समय-समय पर विनिश्चय करेगा।"

5. उक्त विनियम में, विनियम 3 में, उप-विनियम (2) (क) के लिए, "अनुसूची ज के प्ररूप ड़" संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (3) (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई आवेदन परिषद् द्वारा समय समय पर यथा विनिश्चित प्ररूप में किया जाएगा "

6. उक्त विनियम में, विनियम 3 में, उप-विनियम (3) (ख) के लिए "अनुसूची I का प्ररूप ट" संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (3) (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ विनियमन 6 के उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी फीस संलग्न होगी जिससे वह समय से और परिषद् द्वारा समय - समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार संस्थान में पहुंच जाए और संस्थान, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा समय समय पर विनिश्चय किए गए प्ररूप में परीक्षा प्रवेश पत्र जारी करेगा।"

7. उक्त विनियम में, विनियम 3 में, उप-विनियम (7) के लिए, "अनुसूची क का प्ररूप च" संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (7) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"प्रत्येक अभ्यर्थी को जिसने इस विनियम के अधीन कोई परीक्षा उत्तीण की है, को समय समय पर परिषद् द्वारा यथा विनिश्चित प्ररूप में इस प्रभाव की पालन रिपोर्ट दिया जाएगाा"

8. उक्त विनियम में, विनियम 4 में, उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"संस्थान की अध्येता सदस्यता के लिए आवेदन की तारीख को व्यक्ति उस बीमांकक निकाय का एक अध्येता सदस्य होगा जिसका संस्थान के साथ पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) होगा।

9. उक्त विनियम में, विनियम 4 में, उप - विनियम (2) (ख) के लिए, "*परंतु परिषद् की वेबसाइट पर ऐसे सभी संबंधित बीमांकक निकायों की जिनके साथ संस्थान ने पारस्परिक मान्यता करार किया है जानकारी उपलब्ध कराएगी"* के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"परंतु यह और कि यह सदस्य पर निर्भर करेगा कि वह संस्थान से सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत उस बीमांकिक निकाय का सदस्य बने रहना चाहता/चाहती है या नहीं जिसका संस्थान के साथ पारस्परिक मान्यता करार है।

परंतु यह और कि परिषद् यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्यता मानक बनाए रखा गया है, भारतीय बीमांकिक पेशे की संवृद्धि और / या विषय की प्रासंगिकता के हित में समय - समय पर किसी ऐसे अन्य बीमांकक निकाय या किसी शैक्षणिक संस्थान या अन्य पेशेवर संस्थान के साथ पारस्परिक मान्यता करार कर सकता है या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है।"

10. उक्त विनियम में, विनियम 4 में, उप-विनियम (3) के लिए, "अनुसूची ग के प्ररूप घ" को संपूर्णतया हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"कोई व्यक्ति जो अध्येता सदस्य के रूप में प्रवेश लेने की वांछा रखता है, अध्येता के रूप में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य और विनियम 6 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ परिषद् द्वारा समय समय पर विनिश्चय किए गए प्ररूप में संस्थान को आवेदन करेगा परंतु यह कि आवेदक ऐसी अन्य जानकारी देगा जिसकी परिषद् अपेक्षा करे।"

11. उक्त विनियम में, विनियम 4 में, उप-विनियम (4) के लिए, अनुसूची छ का प्ररूप I" को संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

"अध्येता सदस्यता का प्रमाण-पत्र समय समय पर परिषद् द्वारा विनिश्चय किए गए प्ररूप में जारी किया जाएगा।"

12. उक्त विनियम में, विनियम 5 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी अन्य बीमांकिक निकाय या शैक्षणिक संस्थान या अन्य वृत्तिक संस्थान से संस्थान की तत्स्थानी परीक्षा के समतुल्य समझी जाने वाली ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है जैसे परिषद् द्वारा समय - समय पर नियत की जाए, विनियम 3 में निर्दिष्ट परीक्षा से छूट / अभिमुक्ति दी जा सकेगी।

परंतु यह और कि परिषद् यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्यता मानक बनाए रखा गया है, भारतीय बीमांकिक पेशे की संवृद्धि और / या विषय की प्रासंगिकता के हित में समय - समय पर किसी ऐसे अन्य बीमांकक निकाय या किसी शैक्षणिक संस्थान या अन्य पेशेवर संस्थान के साथ पारस्परिक मान्यता करार कर सकता है या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है।"

13. उक्त विनियम में, विनियम 5 में, उप-विनियम (3) के लिए, अनुसूची ख का प्ररूप ख" को संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"कोई व्यक्ति जो सहयुक्त सदस्य के रूप में प्रवेश लेने की वांछा रखता है, परिषद् द्वारा समय - समय पर विनिश्चय किए गए प्रारूप में सदस्यता के लिए अपनी पात्रता के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य और विनियम 6 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन करेगा"

14. उक्त विनियम में, विनियम 5 में, उप-विनियम (4) के लिए, अनुसूची ज का प्ररूप ज" को संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"सहयुक्त सदस्यता का प्रमाण - पत्र समय समय पर परिषद् द्वारा यथा विनिश्चित प्ररूप में जारी किया जाएगा"

15. उक्त विनियम में, विनियम 6 में, उप-विनियम (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"विनियम 4 और विनियम 5 के अधीन रजिस्टर में नाम प्रविष्ट करवाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पच्चास हजार रुपए से अनधिक राशि की ऐसी फीस संलग्न होगी जैसी परिषद् द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए।"

16. उक्त विनियम में, विनियम 6 में, उप-विनियम (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"परिषद् पाठ्यक्रम सामग्री, कोचिंग, काउंसलिंग, प्रशिक्षण और अन्य प्रयोजनों के लिए फीस का अवधारण करेगी :

परंतु ऐसी फीस, जो परिषद् द्वारा समय - समय पर अवधारित की जाए प्रति विषय एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति जिनका पत्राचार का पता भारत के बाहर का है, प्रति विषय दो लाख रुपए से अनधिक ऐसी फीस का संदाय करेंगे जैसा परिषद् समय - समय पर अवधारित करे।"

17. उक्त विनियम में, विनियम 8 में, उप-विनियम (2) के लिए, "अनुसूची ङ का प्ररूप ग" संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो संस्थान के संबद्ध सदस्य के रूप में भर्ती होने की वांछा रखता है, संस्थान को, परिषद् द्वारा समय - समय पर विनिश्चय किए गए प्ररूप में सदस्यता के लिए अपनी पात्रता के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ और विनियम 6 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करके आवेदन कर सकेगा:

परंतु संस्थान के पास पारस्परिक मान्यता करार या परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत वैसे ही करार पर हस्ताक्षरित ऐसे बीमांकिक निकाय के साथ व्यतिकारी करार होना चाहिए।"

18. उक्त विनियम में, विनियम 9 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"कोई व्यक्ति, जिसने 10वी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संस्थान के विद्यार्थी सदस्य के रूप में, भर्ती होने का हकदार होगा।

परंतु यह कि परिषद् को समय समय पर ऊपर उल्लिखित प्रवेश मानदंड को बदलने का अधिकार रहेगा।"

19. उक्त विनियम में, विनियम 9 में, उप-विनियम (2) के लिए, "अनुसूची घ का प्ररूप क" संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"कोई व्यक्ति, जो स्वयं को संस्थान के विद्यार्थी सदस्य के रूप में भर्ती होने वांछा रखता है, संस्थान को सदस्यता हेतु अपनी पात्रता के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ और विनियम 6 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न करके संस्थान द्वारा समय - समय पर यथा विनिश्चित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा।"

20. उक्त विनियम में, विनियम 10 में, उप-विनियम (2) के लिए, "अनुसूची ञ का प्ररूप च" संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"व्यवसाय प्रमाण पत्र के लिए कोई आवेदन परिषद् द्वारा समय - समय पर विनिश्चय किए गए प्ररूप मे किया जाएगा, उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो परिषद् द्वारा समय - समय पर अवधारित की जाए किंतु जो किसी भी दशा में एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।"

21. उक्त विनियम में, विनियम 10 में, उप-विनियम (4) के लिए, "अनुसूची ट का प्ररूप ञ" संपूर्णत: हटा दिया जाएगा, और उप-विनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"व्यवसाय प्रमाण पत्र समय - समय पर परिषद द्वारा विनिश्चय किए गए प्ररूप में जारी किया जाएगा।"

22. उक्त विनियम में, विनियम 11 में, उप-विनियम (2) (ख) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: :-

"परंतु यह कि उप-विनियम (1) के खंड (iv) के अधीन आने वाले किसी मामले में, यदि सीओपी धारक निरस्तीकरण पावती की सूचना के अनुसरण में 1 अप्रैल की संसाधन समय-सीमा के उपरांत आवेदन दाखिल करता है या नहीं करता है, यहाँ यथा उल्लिखित जैसा भी मामला हो, और यदि वह वर्तमान सीओपी की समाप्ति की तिथि से नवीकरण प्रभावी करना चाहता / चाहती है, नवीकरण आवेदन और नवीकरण फीस 30 अप्रैल / उससे पहले प्राप्त होना आवश्यक होगा।"

प्रीति चंद्रशेखर, प्रेसीडेंट

[विज्ञापन-III/4/असा./06/2025-26]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड - 4 दिनांक 11 मई 2017 में प्रकाशित किए गए थे।

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st March, 2025

F.No. IAI/Com/002/2024—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), and (g) of sub-section (2) of section 56 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Council of the Institute of Actuaries of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Institute of Actuaries of India (Admission as member and issuance of Certificate of Practice) Regulations, 2017. The same is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said regulations will be taken into consideration by the Council on or after the expiry of forty-five days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposal in the notification may do so in writing within the period so specified through post to the President, Council of the Institute of Actuaries of India, Unit no. F-206, 2nd Floor, "F" Wing in Tower 2, Seawoods Grand Central, Plot no R-1, Sector 40, Seawoods, Near Seawoods Railway Station, Navi Mumbai - 400 706 or electronically at email address yogesh@actuariesindia.org

1. **Short title and commencement** — (1) These regulations may be called the Institute of Actuaries of India (Admission as Member and Issuance of Certificate of Practice) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Institute of Actuaries of India (Admission as member and issuance of Certificate of Practice) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the said regulation) in regulation 2, in sub-regulation (1) after (d) the following clause shall be inserted, namely: -

"(e) 'professional institute' means any institute as may be constituted under an act of Parliament of India or a similar body as decided by the Council from time to time."

3. In the said regulation, in regulation 3, for sub-regulation (1) (a), the following shall be substituted, namely: -

"Any person who qualifies the examination as decided by the council from time to time either through taking exam or exemption shall be entitled to have his name entered in the register as an associate or a fellow member of the Institute"

4. In the said regulation, in regulation 3, for sub-regulation (2) (a), the following shall be substituted, namely: -

"The examination shall be conducted in such manner and at such time and place as may be decided by the Council, or a committee or a group of persons authorised by the Council, may decide, from time to time."

5. In the said regulation, in regulation 3, for sub-regulation (3) (a), "Form E of Schedule H" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (3) (a) shall be substituted with the following:

"An application for admission to an examination shall be made in the format as decided by the Council from time to time."

6. In the said regulation, in regulation 3, for sub-regulation (3) (b), the reference to "Form K of Schedule I" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (3)(b) shall be substituted with the following:

"Every application under clause (a) shall be accompanied by such fees specified in sub-regulation (2) of regulation 6 so as to reach the Institute in time and in accordance with the directions given by the Council from time to time and the Institute shall issue an examination admit card in the format as decided by the Council from time to time."

7. In the said regulation, in regulation 3, for sub-regulation (7), "Form G of Schedule A" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (7) shall be substituted with the following:

"Every candidate who has passed an examination under this regulation shall be given a performance report to that effect in the format as decided by the Council from time to time"

8. In the said regulation, in regulation 4, for sub-regulation (2) (a), the following shall be substituted, namely: -

"on the date of application for fellow membership of the Institute, the person is a Fellow member of the actuarial body which has the MRA with the Institute"

9. In the said regulation, in regulation 4, for sub-regulation (2) (b), the following provisos shall be inserted after "*Provided that the Council shall provide the information of all concerned actuarial bodies with whom the Institute has entered in MRA on the website of the Institute*", namely:

"Provided further that it is up to the member that whether he/she wants to continue as a Fellow member of the actuarial body which has the MRA with the Institute after receiving the Fellow membership from the Institute.

Provided further that Council may time to time enter into Mutual Recognition Agreement or Memorandum of Understanding with such another actuarial body or an academic institution or other professional institute in the interest of Indian Actuarial profession's growth and/ or relevance of subject to ensure qualification standard is maintained."

10. In the said regulation, in regulation 4, for sub-regulation (3), "Form D of Schedule C" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (3) shall be substituted with the following:

"A person who desires to be admitted as a fellow member shall make an application to the Institute in the format as decided by the Council from time to time together with documentary evidence as to his eligibility for admission as a fellow and the fee specified in sub-regulation (1) of regulation 6 Provided that the applicant shall provide such other information as the Council may require."

11. In the said regulation, in regulation 4, for sub-regulation (4), "Form I of Schedule G" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (4) shall be substituted with the following

"A certificate of fellow membership shall be issued in the format as decided by the Council from time to time"

12. In the said regulation, in regulation 5, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely: -

"The examination referred to in regulation 3 may be exempted/ dispensed with in the case of a person who has passed such examination as stipulated by the Council from time to time from another actuarial body or an academic institution or other professional institute deemed to be equivalent to the corresponding examination of the Institute.

Provided that Council may time to time enter into Mutual Recognition Agreement or Memorandum of Understanding with such another actuarial body or an academic institution or other professional institute in the interest of Indian Actuarial profession's growth and/ or relevance of subject to ensure qualification standard is maintained."

13. In the said regulation, in regulation 5, for sub-regulation (3), "Form B of Schedule B" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (3) shall be substituted with the following:

"A person who desires to be admitted as an associate member shall make an application to the Institute in the format as decided by Council from time to time together with documentary evidence as to his eligibility for membership and the fee specified in sub-regulation (1) of regulation 6"

14. In the said regulation, in regulation 5, for sub-regulation (4), "Form H of Schedule F" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (4) shall be substituted with the following:

"A Certificate of an associate membership shall be issued in the format as decided by the Council from time to time"

15. In the said regulation, in regulation 6, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely: -

"Every application for entry of names in the register under regulation 4 and regulation 5 shall be accompanied with a fee of an amount not exceeding fifty thousand rupees, as the Council may determine from time to time."

16. In the said regulation, in regulation 6, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely: -

"The Council shall determine fees for course material, coaching, counselling, training and other purposes:

Provided that such fee shall not exceed one lakh rupees per subject, as the Council may determine from time to time.

Provided further that persons with address for correspondence outside India shall pay such fees not exceeding two lakhs rupees per subject, as the Council may determine from time to time.

Provided further that fees for any certification course (other than examination referred in regulation 3 to 5) can be decided by the council from time to time."

17. In the said regulation, in regulation 8, for sub-regulation (2), "Form C of Schedule E" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (2) shall be substituted with the following:

"Any person referred to in sub-regulation (1) who desires to be admitted as an affiliate member of the Institute shall make an application to the Institute in the format as decided by the Council from time to time together with documentary evidence about his eligibility for membership and on payment of a fee specified in sub-regulation (1) of regulation 6:

Provided that the Institute has a reciprocity agreement with such actuarial body through the signing of a mutual recognition agreement or the like as duly authorised by the Council."

18. In the said regulation, in regulation 9, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely: -

"Any person who has passed 10 or equivalent shall be entitled to be admitted as a student member of the Institute under sub-section (3) of section 8 of the Act.

Provided that the Council shall have the power to change the admission criterion mentioned above from time to time."

19. In the said regulation, in regulation 9, for sub-regulation (2), "Form A of Schedule D" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (2) shall be substituted with the following:

"Any person who desires to enroll himself as a student member of the Institute shall make an application to the Institute in the format as decided by the Council from time to time together with documentary evidence as to his eligibility for membership and accompanied by a fee specified in sub-regulation (1) of regulation 6."

20. In the said regulation, in regulation 10, for sub-regulation (2), "Form F of Schedule J" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (2) shall be substituted with the following:

"An Application for certificate of practice shall be made in the format as decided by the Council from time to time accompanied by such fee as may be determined by the Council from time to time but which shall not exceed one lakh rupees in any case."

21. In the said regulation, in regulation 10, for sub-regulation (4), “Form J of Schedule K" shall be deleted in its entirety, and sub-regulation (3) shall be substituted with the following:

“A certificate of practice shall be issued in the format as decided by the Council from time to time”

22. In the said regulation, in regulation 11, after sub-regulation (2) (b), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that in a case falling under clauses (iv) of sub-regulation (1), if COP holder submits an application after the processing deadline of 1st April pursuant to notice of cancellation receipt or not as the case may be as mentioned here, and if he/she wants the renewal to be effective from the date of current COP expires, the renewal application and renewal fees must be received on / before 30th April.”

PREETI CHANDRASHEKHAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./06 /2025-26]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on dated the 11th May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.04.03 15:05:23 +05'30'